

परिपत्र सं० -विधि-4(3)-सामान्य परिवाद-पत्रा०सं०-28/ 571/ 1213035 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर

(विधि अनुभाग)

उत्तर प्रदेश

लखनऊ :दिनांक :: 16 जुलाई, 2012

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर

वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाए गए हैं कि उनके द्वारा Incentive के रूप में अपने क्रेताओं को जो क्रेडिट नोट जारी किए जाते हैं , उनमें कर की कोई राशि समाहित नहीं होती है । यह भी अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा जो कर ऐसे क्रेताओं को बिक्री किए जाते समय वसूला जाता है , इन क्रेडिट नोट के ऐसे क्रेताओं को जारी किए जाने के बाद उसमें कभी भी कोई संशोधन नहीं किया जाता है और वह कर उसी प्रकार राजकीय कोष में जमा रहता है । अतः ऐसे क्रेडिट नोट के संबंध में कतिपय कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा की जाने वाली रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट की कार्यवाही अविधिक तथा अनुचित है ।

2- उक्त क्रम में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अवगत कराना है कि नियम 21(4) में निम्न प्राविधान है -

" No credit of amount of input tax in respect of which purchasing dealer has received credit note from the selling dealer , shall be allowed as input tax credit . "

उक्त प्राविधानों से स्पष्ट है कि यदि क्रेता व्यापारी को इनपुट टैक्स के संबंध में विक्रेता व्यापारी से कोई क्रेडिट नोट प्राप्त होता है तो इनपुट टैक्स की ऐसी राशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसे क्रेता को अनुमन्य नहीं होगा अर्थात क्रेडिट नोट में निहित इनपुट टैक्स की राशि की सीमा तक RITC की कार्यवाही निष्पादित की जाएगी । यह प्राविधान उन प्रकरणों में लागू नहीं है जिनमें विक्रेता द्वारा जारी क्रेडिट नोट में इनपुट टैक्स का कम्पोनेंट समाहित नहीं होता है ।

3- अतः जिन प्रकरणों में तथ्यों की जाँचोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा क्रेता के लिए जारी क्रेडिट नोट में इनपुट टैक्स का कोई कम्पोनेंट निहित नहीं है , उनमें रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है ।

4- यह भी अवगत कराना है कि धारा 13(1)(f) जिसे 30प्र० अधिनियम संख्या 19 आफ 2010 द्वारा दिनांक 20-8-2010 से प्रभावी किया गया है , के द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित किया गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि , ट्रेडर्स के प्रकरणों में ऐसे माल की बिक्री पर देय कर से तथा निर्माताओं के प्रकरणों में ऐसे इनपुट्स से निर्मित वस्तुओं की बिक्री पर देय कर से , अधिक नहीं हो सकती है ।

अतः उक्त विधिक स्थिति के अनुरूप कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।

(हिमांशु कुमार)

कमिशनर वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश

पृ०प०सं० एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।

- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ०प्र०
- (5) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, उ०प्र० ।
- (6) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ०प्र० मुख्यालय लखनऊ ।
- (7) एडीशनल कमिशनर,ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०/ अपील), वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश ।
- (8) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि०अनु०शा० / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।
- (9) समस्त डिप्टी कमिशनर / अस्सिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क०नि० / वि०अनु०शा० / स०द०) वाणिज्य कर,, उत्तर प्रदेश ।
- (10) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ ।
- (11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।
- (12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
- (13) प्रबन्धक,इसेटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
- (14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।
- (15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए०जी०आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (16) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर 10नोयडा ।
- (17) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि०/असिस्टेन्ट कमिशनर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी ०कमि०/असि०कमि०(उ०न्या०कार्य०)लखनऊ/इलाहाबाद।
- (19) मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियों में ।
- (20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियों ।
- (21) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
- (22) अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो० 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ ।
- (23) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ ।
- (24) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
- (25) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुँज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।
- (26) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसाफा लखनऊ।
- (27) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (28) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
- (29) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (30) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड० ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
- (31) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
- (32) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड० निराला नगर,लखनऊ ।
- (33) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य०) के माध्यम से ।
- (34) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
- (35) शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि उ०प्र० टैक्स बार एसो० जमुना बिहार,एस०एस०कालेज रोड,खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (36) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ०प्र० शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (37) प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
- (38) प्रो० श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (39) डा० छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।

- (40) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।
- (41) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुँजगली,चौक,वाराणसी ।
- (42) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्षपश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।
- (43) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (44) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (45) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।
- (46) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (47) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (48) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।
- (49) संयोजक,टैक्सेशियो एंक्वैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (50) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
- (51) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (52) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (53) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (54) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (55) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष,एफ-3,पार्क रोड,लखनऊ ।
- (56) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पंजी0-बी-29,विधायक निवास, दारुल शफा,लखनऊ ।
- (57) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
- (59) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।
- (69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0)

(योगेन्द्र कुमार)
 एडीशनल कमिशनर (विधि), वाणिज्य कर
 मुख्यालय , उत्तर प्रदेश